न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या 14/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	**बनाम**	1– श्री डालचन्द्र मेघवंशी पुत्र श्री औंकारलाल मेघवंशी, विक्रेता /मालिक मैसर्स – नवीन ट्रेडर्स पुलिस लाइन के पीछे, हठीले हनुमान मंदिर रोड, शिव नगर भीलवाडा। स्थाई पता – पुलिस लाइन के पीछे, हठीले हनुमान मंदिर रोड, शिव नगर भीलवाडा।
– प्रार्थी		**––विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा

2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

दिनांक 27.04.2017

आदेश

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी श्री डालचन्द्र मेघवंशी पुत्र श्री औंकारलाल मेघवंशी, विक्रेता/मालिक, मैसर्स नवीन ट्रेडर्स, पुलिस लाईन के पीछे, हठीले हनुमान मंदिर रोड, शिव नगर, भीलवाडा (राज.) पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् घी, तेल, मसाले व अन्य किराणा सामान इत्यादि का विकय कर रहा था। नवीन ट्रेडर्स, पुलिस लाईन के पीछे, हठीले हनुमान मंदिर रोड, शिव नगर, भीलवाडा (राज.) का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विकय हेतु हल्दी पाउडर (पोलीथिन पैक) के 500–500 ग्राम के 10 पैकेट रखे हुये थे। इन हल्दीपाउडर (पोलिथिन पैक) पर बैच नम्बर, निर्माण तिथि, अवधिपार तिथि, निर्माता का नाम इत्यादि अंकित नहीं था। मौके पर रखे हल्दीपाउडर (पोलिथिन पैक) में मिलावट एवं मिस ब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। नियमानुसार हल्दीपाउडर (पोलिथिन पैक) का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को

भिजवाया । बाद जाँच नमूना मिस ब्राण्डेड होना पाया गया। विपक्षी को लिये गये खाद्य नमूने का कय बिल प्रस्तुत करने बाबत रजिस्ट्रर्ड पत्रांक प्रस्तुत किया गया। विपक्षी द्वारा फेरी विक्रेता से माल कय कर, कय बिल नही होना बताया। विपक्षी के विरूद्व न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म **5-A** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, कय बिल प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित पत्र एवं प्राप्त प्रति उत्तर, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.05..2016 को समय 04:15 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स नवीन ट्रेडर्स, पुलिस लाईन के पीछे, हठीले हनुमान मदिंर रोड, शिव नगर, भीलवाडा (राज.) पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत से श्री डालचंद्र मेघवंशी पुत्र श्री औंकारलाल मेघवंशी उम्र 38 वर्ष, जाति मेघवंशी, निवासी शिवनगर, भीलवाडा (राज.) उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु घी, तेल, मसाले व अन्य किराणा सामग्री आदि आम जनता को विक्रय कर रहा था। मौके पर विक्रेता/मालिक से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा गया मौके पर विक्रेता द्वारा विभाग द्वारा जारी खाद्य रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति प्रस्तुत की।

मैसर्स नवीन ट्रेडर्स, पुलिस लाईन के पीछे, हठीले हनुमान मंदिर रोड, शिव नगर, भीलवाडा (राज.) का विक्रेता एवं गवाहों की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु हल्दीपाउडर (पोलिथिन पैक) के 500–500 ग्राम के 10 पैकेट रखे हुये थे। इन हल्दीपाउडर (पोलिथिन पैक) पर बैच नम्बर, निर्माण तिथि, अवधिपार तिथि, निर्माता का नाम इत्यादि अंकित नहीं था। मौके पर रखे हल्दीपाउडर (पोलिथिन पैक) में मिलावट एवं मिस ब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की एवं मौके पर अन्य लोग भी मौजूद थे, उन्हें सरकारी गवाह बनने हेतु समझाया गया एवं सभी प्रकार के प्रयास किये गये, किन्तु सभी ने मना कर दिया। अन्त में श्री बाबूलाल पायक च.श्रे.क. को गवाह बनाया गया।

मौके पर गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ हल्दीपाउडर (पोलिथिन पैक) के 500–500 ग्राम के 4 पैकेट पैक्ड हालत में खाद्य कारोबारकर्ता से खरीदे एवं इस बाबत् 320/– रू अक्षरे तीन सौ बीस रूपये मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार भर कर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–123 दर्ज

कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–123 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाडा डॉ. सतीष कुमार डाबी द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदें से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता/मालिक श्री डाल चन्द्र मेघवंशी पुत्र श्री औकार लाल मेंघवंशी के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार की गई। लिये गये खाद्य नमूना सख्यां एक्स 123 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. L.S.327/ACT/2016/377 दिनांक 01.06.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, हल्दीपाउडर (पोलिथिन पैक) निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण मिस ब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। विपक्षी को लिये गये खाद्य नमूने का क्रय बिल प्रस्तुत करने बाबत रजिस्ट्रर्ड पत्रांक प्रस्तुत किया गया। विपक्षी द्वारा फेरी विक्रेता से माल क्रय कर, क्रय बिल नही होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री डालचन्द्र मेघवंशी पुत्र श्री औंकारलाल मेघवंशी विकेता/मालिक मैसर्स नवीन ट्रेडर्स पुलीस लाईन के पीछे, हठीला हनुमान मंदिर रोड, शिवनगर, भीलवाडा (राज.) द्वारा मिस ब्राण्डेड हल्दीपाउडर (पोलिथिन पैक) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 07.03.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 0703.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक

17.04.2017 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित । विपक्षी उपस्थित है।

विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया । विपक्षी ने अपने जवाब में बताया कि लिये गये खाद्य नमूने का क्रय उनके द्वारा फेरी विक्रेता से किया गया था एवं भूलवश क्रय बिल नही लिया गया एवं भविष्य में इस प्रकर की गलती नही करने का निवेदन किया ।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी से लिया गया खाद्य नमूना हल्दीपाउडर (पोलिथिन पैक) मिस ब्राण्डेड होना पाया गया है । **प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि हल्दीपाउडर (पोलिथिन पैक) के लेबल पर बैच नं. निर्माण तिथि, बेस्ट बिफोर, निर्माता का नाम व पता, शाकाहारी या मांसाहारी हेतु आवश्यक सिम्मबल इत्यादि का अंकन ही पाया गया। जोकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 (पैकेजिग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के तहत के नियम 2.2.2(2)2.2.2(4), 2.2.2(6), 2.2.2(7), 2.2.2(8), 2.2.2(9), 2.2.2(10) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है।** प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण सख्या 01 के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा विपक्षी को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये, पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु विपक्षी द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

विभागीय पैरोकार की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब को पढा गया। उक्त जवाब में विपक्षी के द्वारा अवगत कराया कि लिये गये खाद्य नमूने का क्रय उनके द्वारा फेरी विक्रेता से किया गया था एवं भूलवश क्रय बिल नही लिया गया एवं भविष्य में इस प्रकर की गलती नही करने का निवेदन किया गया। विभागीय पैरोकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उनके द्वारा मिस ब्राण्डेड हल्दी पाउडर का विक्रय किया गया है। **प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि हल्दीपाउडर (पोलिथिन पैक) के लेबल पर बैच नं. निर्माण तिथि, बेस्ट बिफोर, निर्माता का नाम व पता, शाकाहारी या मांसाहारी हेतु आवश्यक सिम्मबल इत्यादि का अंकन ही पाया गया। जोकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 (पैकेजिग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के तहत के नियम 2.2.2(2)2.2.2(4), 2.2.2(6), 2.2.2(7), 2.2.2(8), 2.2.2(9), 2.2.2(10) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है।**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी श्री डालचन्द्र मेघवंशी पुत्र श्री औंकारलाल मेघवंशी, विक्रेता/मालिक, मैसर्स नवीन ट्रेडर्स, पुलिस लाईन के पीछे, हठीले हनुमान मदिंर रोड, शिव नगर, भीलवाडा (राज.) ने मिस ब्राण्डेड हल्दीपाउडर (पोलिथिन पैक) का विक्रय करने के लिये दोषी है । इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिस ब्राण्डेड पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित

किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी पर 10,000/—रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 03 माह के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/04/17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है—

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4 श्री डालचन्द्र मेघवंशी पुत्र श्री औंकारलाल मेघवंशी, विक्रेता/मालिक, मैसर्स नवीन ट्रेडर्स, पुलिस लाईन के पीछे, हठीले हनुमान मदिंर रोड, शिव नगर, भीलवाडा (राज.) स्थाई पता — पुलिस लाईन के पीछे, हठीले हनुमान मदिंर रोड, शिवनगर, भीलवाडा।

27/04/17

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)